उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (सामान्य) अनुभाग-1
संख्या- 2/2019/ जी-1-37 / दस-2019
लखनऊ : दिनांक 22 अगस्त, 2019

<u>कार्यालय-ज्ञाप</u>

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राजकीय अधिकारियों / कर्मचारियों को समय-समय पर कतिपय ऐसे भत्ते अनुमन्य किये गये हैं जिनके सम्बन्ध में यह अनुभव किया गया है कि ऐसे भत्तों की अब प्रासंगिकता नहीं रह गयी है। अतएव शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्नांकित भत्तों, जो पूर्व में किसी भी शासनादेश द्वारा अनुमन्य किये गये हों, को तत्काल प्रभाव से समाप्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) द्विभाषी प्रोत्साहन भत्ता।
(2) कम्प्यूटर संचालन हेतु प्रोत्साहन भत्ता।
(3) स्नातकोत्तर भत्ता।
(4) कैश हैण्डलिंग भत्ता।
(5) परियोजना भत्ता (सिंचाई विभाग)।
(6) स्वैच्छिक परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत अतिरिक्त प्रोत्साहन भत्ता।

(संजीव मित्तल)
अपर मुख्य सचिव

<u>संख्या-2/2019/ जी-1-37(1) / दस-2019, तद्दिनांक।</u>

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) 1 एवं 2 तथा आडिट-1 एवं 2, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
3- प्रमुख सचिव, विधान सभा/ विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
4- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
5- महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, प्रयागराज।
6- निदेशक, अधिष्ठान पुनरीक्षण ब्यूरो, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश।
7- समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8- उ0प्र0 सचिवालय के समस्त अनुभाग।
9- इरला चेक अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सरयू प्रसाद मिश्र)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।